आयोग की वेबसाईट से
अन्तरिम अथवा अन्तिम आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने की सरल प्रकिया

द्वितीय अपीलों के अन्तरिम अथवा अन्तिम आदेशों की प्रतियां ऐसे प्राप्त करें :

1. अपने वेब ब्राउजर को खोल कर उसके एड्रेस बार में आयोग की वेबसाईट http://uic.gov.in का नाम लिख कर वेबसाईट खोलें. .

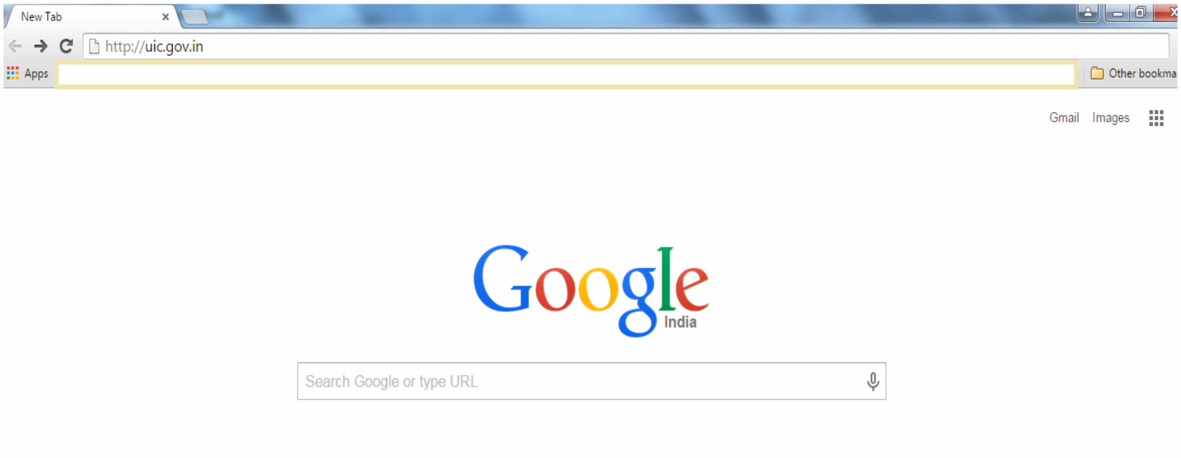

2. आपकी कमप्यूटर स्क्रीन पर आयोग की वेबसाईट ऐसी प्रदर्शित होगी.

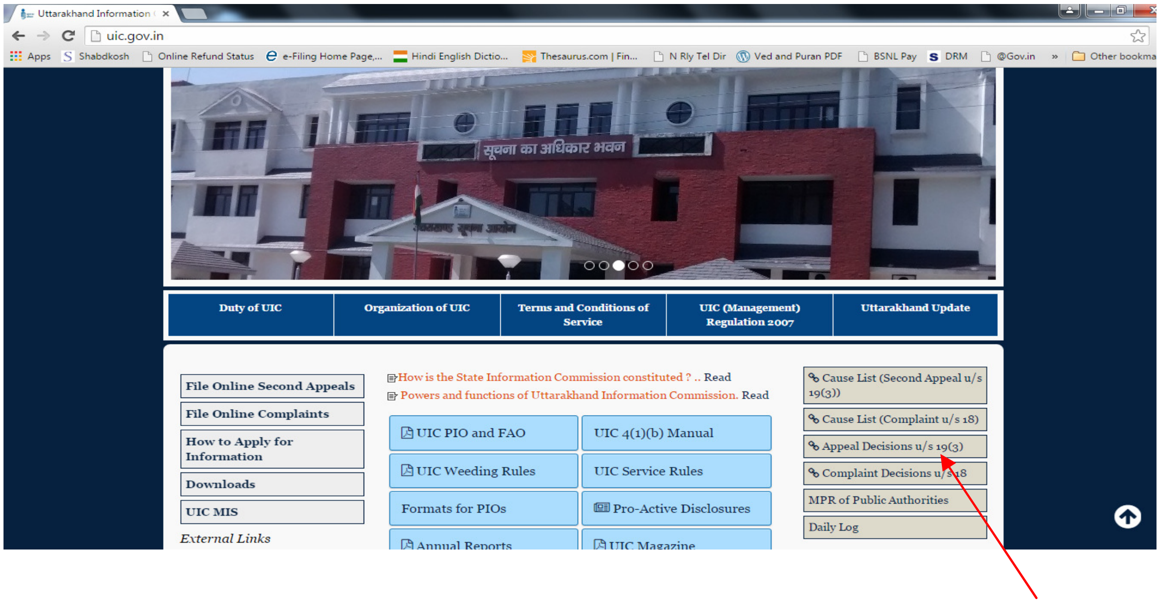

3. वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक 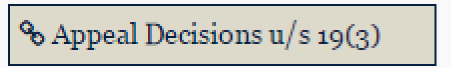

पर क्लिक करें.

4. आपकी कमप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा प्रदर्शित होगा.

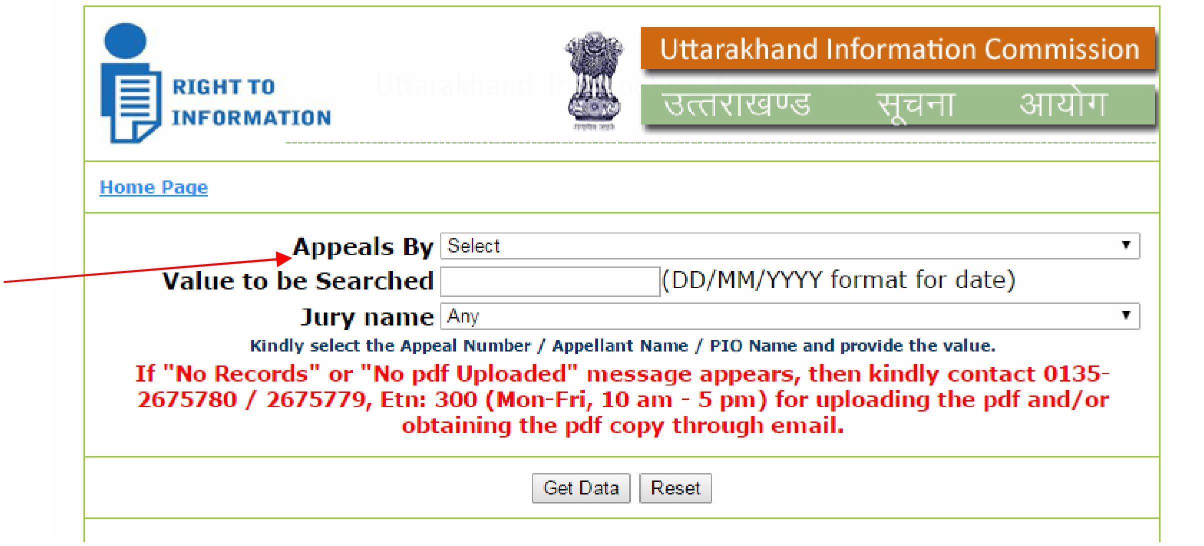

5. इसके उपरान्त आप Appeals By लिंक पर क्लिक करेंगे तो आदेश ढूंढने के लिए कई विकल्प उपलब्ध होंगे.

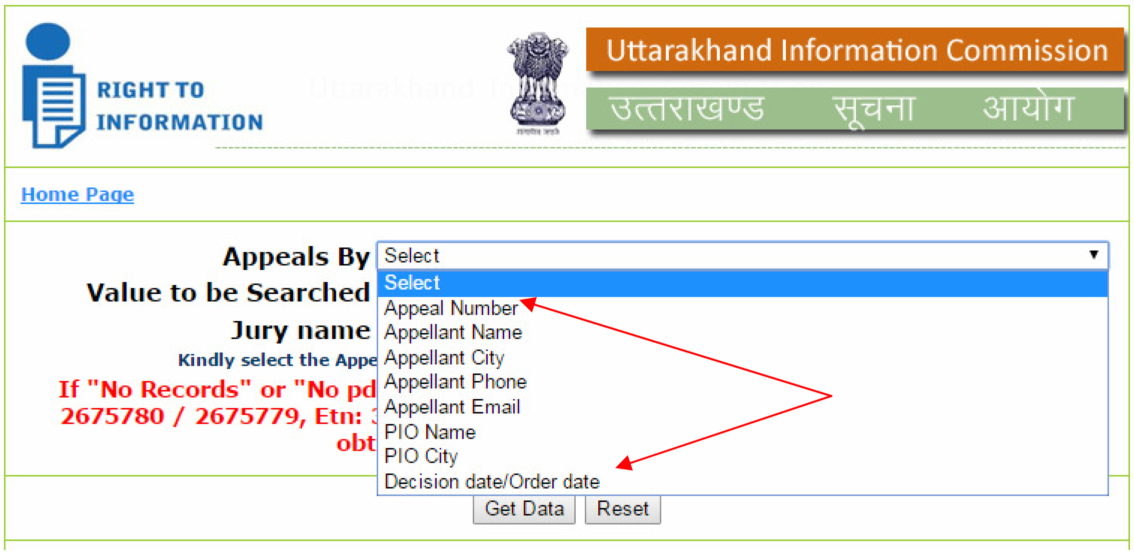

6. इन विकल्पों में से किसी भी विकल्प का प्रयोग कर आप वांछित अपील को ढूंढ सकते हैं. परन्तु आदेश की तिथि (Decision date/Order date) अथवा अपील संख्या (Appeal Number) का विकल्प सबसे सरल एवं उत्तम रहता है.

7. आदेश की तिथि (decision date/order date) का विकल्प चुनने के उपरान्त Value to be Searched के बॉक्स में अपील की सुनवायी की तिथि को अंकित करें. ध्यान दें, कि तिथि को

DD/MM/YYYY रूप में ही अंकित करें. उदाहरण के लिए यदि आपकी अपील की सुनवायी की तिथि 15 जून 2015 है, तो उसे इस प्रकार अंकित करें : 15/06/2015

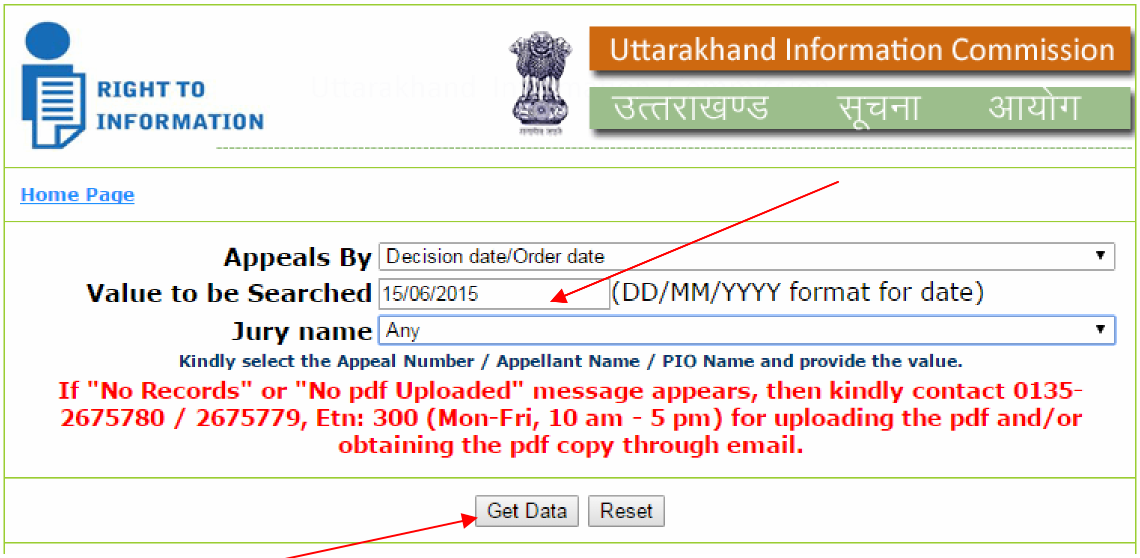

8. अब Get Data लिंक को दबायें.

9. ऐसा करने पर आपके स्क्रीन पर दिनांक 15/06/2015 को आयोग द्वारा सुनी गयी सभी द्वितीय अपीलों की सूची उपलब्ध हो जायेगी. यह सूची दो भागों में उपलब्ध होगी. प्रथम भाग में उन वादों की सूची होगी जिनमें उक्त दिनांक को अन्तिम आदेश पारित किये गये हैं. तथा द्वितीय भाग में उन वादों की सूची होगी जिनमें उक्त दिनांक को अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं.

Final Orders

Select Appeal Number	Appellant Name	PIO	Department	Jury	Decision-On
17481	Kashmir Singh	Staff Officre Minor Irrigation	Minor Irrigation	Anil Kumar Sharma	15/06/2015
17552	Satish Sharma	Exec Enginner Irrigation	Irrigation	Surendra Singh Rawat	15/06/2015
17932	Yogendra Saini	Gram Panchayat Vikas Adhikari	Rural Development	Anil Kumar Sharma	15/06/2015
17942	Nandi Devi	DEO Secondary	Vidhalaya Shiksha Vibhag	Surendra Singh Rawat	15/06/2015

Interim orders

Appeal Number	Appellant Name	Order Date	PIO	Department	Jury
16788	Deepti Srivastava	15/06/2015	DEO Secondary	Vidhalaya Shiksha Vibhag	Surendra Singh Rawat
17292	Rishipal	15/06/2015	SHO Jhabreda	Home Department	Rajendra Kotiyal
17441	Kehar Singh	15/06/2015	SDM Rudrapur	Revenue	Rajendra Kotiyal
17539	Vinod Joshi	15/06/2015	EO Nagar Panchayat	Urban Development	Prabhat Dabral
17931	Dr Lalit Prasad Joshi	15/06/2015	Proj Director DRDA	Rural Development	Anil Kumar Sharma
17933	Bharat Bhushan	15/06/2015	Exec Enginner UK Jal Sansthan	Peyjal Vibhag	Anil Kumar Sharma

10. जिस वाद के आदेश की आपको आवश्यकता हो उसकी संख्या (जो कि नीले रंग में प्रदर्शित हो रही है), को क्लिक करें.

11. ऐसा करने पर आपको आदेश की प्रति का पी.डी.एफ. संस्करण दिखाई देखा. इसे आप अपने कमप्यूटर पर संरक्षित कर सकते हैं तथा इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

<u>शिकायतों के अन्तरिम अथवा अन्तिम आदेशों की प्रतियां ऐसे प्राप्त करें :</u>

12. कमांक 1 व 2 में दी गयी प्रकिया के अनुसार आयोग की वेबसाईट खोलें.

13. वेबसाईट में उपलब्ध लिंक [Complaint Decisions u/s 18] पर क्लिक करें.

14. आपकी कमप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा प्रदर्शित होगा.

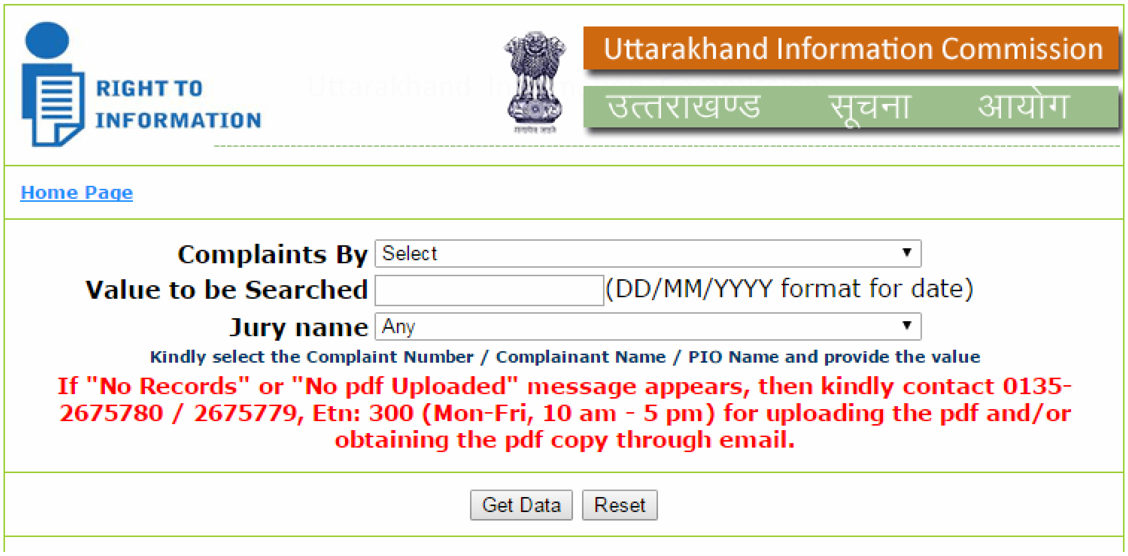

15. अब कमांक 5 से 9 में वर्णित प्रकिया के अनुसार शिकायत के अन्तरिम/अन्तिम आदेश प्राप्त करें.

<u>ध्यान दें :</u>

- किसी भी वाद का आदेश आयोग की वेबसाईट पर तभी उपलब्ध होगा जब सम्बन्धित मा. आयुक्त द्वारा वाद की मूल पत्रावली पर आदेश की मूल प्रति को हस्ताक्षरित किया जा चुका होगा.
- जिस भी वाद की सुनवायी आयोग में की जाती है, उसके आदेश (अन्तिम/अन्तरिम) की ऑनलाईन प्रति उपलब्ध होने में सामान्यत: 5–8 कार्य दिवस का समय लगता है.
- ऑनलाईन आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने में किसी भी कठिनाई के सम्बन्ध में कृपया आयोग के दूरभाष (0135 – 2675780 / 2675779) अथवा ईमेल (uicddn@gmail.com) पर अवगत करा सकते हैं.